न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (द.प्र.क्षेत्र), कक्ष संख्या–1,
जनपद कन्नौज।

CNR No. UPKJ01-006025-2024

परिवाद संख्या–228/2024

धनीराम प्रति अजीत कुमार आदि

दिनांकः–30.04.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसीस्थिति में उक्त परिवाद का निस्तारण पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया जाना न्यायोचित होगा।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी विगत दिनांक 30.03.2026 से निरन्तर अनुपस्थित चल रहा है।

न्यायालय में उपस्थित रीडर द्वारा आदेश पत्र पर यह कथन किया किया आज परिवादी की ओर से कोई उपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली निरन्तर बयान अंतर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 में नियत चल रही है। आज परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। न्यायालय द्वारा परिवादी को साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। ऐसा परिलक्षित होता है कि परिवादी अपने परिवादपत्र पर बल नहीं देना चाहता है।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में कोई भी ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर विपक्षीगण को तलब किया जा सके। अतः ऐसी स्थिति में परिवाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द.प्र.क्षे), कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.05.02 10:47:12 IST
Reason: COMPLAINT DISMISSED
Location: ADJ COURT NO 2 KANNAUJ